



2026:AHC-LKO:11340-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय,
लखनऊ
आपराधिक अपील संख्या - 492/1982
राम नारायण एवं अन्य ...अपीलार्थी(गण)
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य ...प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता :आर.एस. शुक्ला, बृज मोहन सहाय, राज प्रिया श्रीवास्तव, राजेन्द्र प्रसाद मिश्रा
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता :शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 10

सुरक्षित तिथि: 02.12.2025

निर्णय तिथि: 13.02.2026

ए.एफ.आर.

माननीय न्यायमूर्ति रजनीश कुमार

माननीय न्यायमूर्ति जफिर अहमद

(द्वारा: रजनीश कुमार, न्यायमूर्ति)

(1) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेंद्र प्रसाद मिश्रा और राज्य के लिए विद्वान ए.जी.ए. श्री अरुणेंद्र को सुना।

(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (जिसे आगे सीआरपीसी कहा गया है) की धारा 374(2) के तहत यह आपराधिक अपील, गोंडा के द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 209/1979 में दिनांक 18.06.1982 को पारित निर्णय एवं आदेश के विरुद्ध दायर की गई है, जो भारतीय दंड संहिता, 1860 (जिसे आगे आईपीसी कहा गया है) की धारा 147, 148, 149, 302 के तहत एफआईआर/अपराध संख्या 71/1979, पुलिस स्टेशन कोतवाली देहात, जिला गोंडा से संबंधित है, जिसमें अपीलकर्ताओं को आईपीसी की धारा 302/34 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

(3) अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में, जैसा कि एफआईआर (प्रदर्श का-2) में बताया गया है, यह है कि समाई दीन के पुत्र देवी प्रसाद ने दिसंबर 1978 में वर्तमान मामले के शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद और उनके मृतक चाचा राम शंकर के विरुद्ध थाना कोतवाली सिटी, जिला गोंडा में हत्या का मामला दर्ज कराया था, जिसमें शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद और उनके चाचा राम शंकर दोनों को जमानत मिल गई थी। आरोप है कि उक्त मामले के कारण समाई दीन के पुत्र राम नारायण उनसे गहरी दुश्मनी रखते थे। आगे यह भी कहा गया है कि 8 मार्च 1979 को सुबह 8:00 बजे शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद और उनके चाचा राम शंकर खमारीहा गांव के लिए रवाना हुए, जहां उनके चाचा राम शंकर खेती करते थे। सुबह 10:30 बजे वे खमारीहा गांव पहुंचे और खेती का काम देखकर दोपहर करीब 2:00 बजे खमारीहा गांव से मदादेवा गांव के लिए रवाना हुए। जब वे दोपहर करीब 3:00 बजे सालपुर (साजपुर) गांव पहुंचे, तो वहां उनके गांव के गुर चरण कोरी उनसे मिले। शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद, उनके चाचा राम शंकर और गुर चरण कोरी पैदल आ रहे थे। शाम लगभग 4:00 बजे, पटखौली गांव के सामने वाली सड़क पर, आरोपी राम नारायण (समाई दीन का पुत्र), जनेंद्री (ललता प्रसाद का पुत्र), राम फेरे (ललता प्रसाद का पुत्र), निवासी गांव महादेव, थाना कोतवाली देहात, जिला गोंडा; नाइयर (राम अनुज का पुत्र), निवासी गांव गौरा, थाना मनकापुर, जिला गोंडा), जो समाई दीन का दामाद है; और राम उगर (माता प्रसाद का पुत्र), निवासी गांव पटखौली, थाना कोतवाली देहात, जिला गोंडा, लाठी, बल्लम और फरसा से लैस होकर सड़क के पश्चिम में स्थित अरहर के खेत से

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



निकले और उन पर हमला करने के इरादे से उनका पीछा किया। राम उगर ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इसी दौरान, पांच आरोपियों ने सड़क के पूर्वी किनारे पर लगभग 100 गज की दूरी पर राम शंकर को घेर लिया और उन पर हमला करना शुरू कर दिया। शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद ने शोर मचाया, जिस पर सड़क से गुजर रहे लक्ष्मी प्रसाद पुत्र अमरीका प्रसाद निवासी ग्राम पिपरी और भीखम दत्त निवासी ग्राम धनौली दौड़कर आए और उन्हें डांटा। इसके बाद आरोपी पूर्व दिशा की ओर भाग गए। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि शिकायतकर्ता गुर चरण कोरी के साथ राम शंकर के पास गए और पाया कि राम शंकर की चोटों के कारण मृत्यु हो गई थी। इसके बाद, गुर चरण और अन्य लोगों को शव के पास छोड़कर वे सूचना लेने आए हैं। इसलिए, रिपोर्ट लिखी जाए और उचित कार्रवाई की जाए। तदनुसार, लिखित रिपोर्ट (प्रदर्श का-2) के आधार पर, पुलिस स्टेशन कोतवाली (देहात), जिला गोंडा में 08.03.1979 को 18:45 बजे चिक एफआईआर (प्रदर्श का-5) के तहत धारा 147, 148, 302/149 आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज की गई और इसे जी.डी. में सीरियल नंबर 32 (प्रदर्श का-6) पर पंजीकृत किया गया।

(4) मामले की जांच सब इंस्पेक्टर बी.एन. सिंह (गवाह-6) को सौंपी गई थी। उन्होंने पुलिस स्टेशन में ही शिकायतकर्ता का बयान दर्ज किया और फिर रात 10:30 बजे घटनास्थल पर गए। हालांकि, रात में रोशनी न होने के कारण शव परीक्षण की कार्यवाही नहीं हो सकी, इसलिए इसे अगली सुबह आयोजित किया गया। जांच अधिकारी ने शव का आरेख, शव का चालान और सीएमओ को पत्र भी तैयार किया। उन्होंने घटनास्थल से खून से सनी और सादी मिट्टी भी बरामद की और शव का मेमो तैयार किया। शव को कपड़े में लपेटकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। उन्होंने आरोपी की तलाश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। मामले की आगे की जांच एस.ओ. द्वारा की गई।

(5) डॉ. वाई.एन. पाठक, प्रथम साक्षी ने मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया और 09.03.1979 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की। जांच अधिकारी ने बयान दर्ज करने और जांच पूरी करने के बाद आरोपपत्र दाखिल किया। मामला 07.08.1979 को सत्र न्यायालय को सौंप दिया गया। सत्र न्यायालय ने 28.01.1980 को धारा 147 और 302/149 आईपीसी के तहत आरोप तय किए। आरोपियों ने आरोपों को स्वीकार नहीं किया और विचारण की सुनवाई की मांग की।

(6) अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने डॉ. वाई.एन. पाठक को पी.डब्ल्यू.-1, शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद को पी.डब्ल्यू.-2, गुर चरण को पी.डब्ल्यू.-3, भीखम दत्त को पी.डब्ल्यू.-4, मोहम्मद उमर को पी.डब्ल्यू.-5 और जांच अधिकारी बृज नारायण सिंह को पी.डब्ल्यू.-6 के रूप में पेश किया और सरकारी फिंगरप्रिंट विशेषज्ञ शिव मंगल पांडे को सी.डब्ल्यू.-1 और नन्हू को सी.डब्ल्यू.-2 के रूप में जांचा गया।

(7) अभियोजन पक्ष ने दस्तावेजी साक्ष्यों में पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श का-1), लिखित FIR (प्रदर्श का-2), पशुओं की खरीद से संबंधित रसीद और प्रतिमुद्रण (प्रदर्श का-3 और प्रदर्श का-4), चिक FIR (प्रदर्श का-5), मामले के पंजीकरण का जीडी (प्रदर्श का-6), जांच रिपोर्ट (प्रदर्श का-7), शव का आरेख (प्रदर्श का-8), चालान (प्रदर्श का-9), सीएमओ को पत्र (प्रदर्श का-10), रक्त से सने और समतल मिट्टी का ज्ञापन (प्रदर्श का-11), स्थल योजना (प्रदर्श का-12), मृतक राम शंकर की खतौनी का अंश (प्रदर्श का-13) और रसीद (प्रदर्श का-14) प्रस्तुत और सिद्ध किए। अभियोजन पक्ष ने मृतक के स्वेटर आदि को सामग्री प्रदर्श 1 से 8 और रक्त से सने और समतल मिट्टी को सामग्री प्रदर्श 9 और 10 के रूप में भी प्रस्तुत किया। सी. डब्ल्यू.- 1 ने अपनी विशेषज्ञ रिपोर्ट और संबंधित कागजात प्रदर्श सी-1 से सी-8) भी साबित किए।

(8) बचाव पक्ष ने पी. डब्ल्यू.- 1 के बयान का अंश (प्रदर्श खा-1), राजेंद्र प्रसाद आदि का हलफनामा (प्रदर्श खा-1(ए) से खा-4) तथा विशेषज्ञों की रिपोर्ट आदि (प्रदर्श खा-5 से खा-9), आरोप पत्र की प्रति (प्रदर्श खा-10), राम शंकर के बयान की प्रति (प्रदर्श खा-11) तथा धारा 107/116 दंड प्रक्रिया के तहत पुलिस रिपोर्ट (प्रदर्श खा-12) प्रस्तुत की।

(9) अवर न्यायालय ने शासकीय अधिवक्ता और बचाव पक्ष के अधिवक्ता को सुनवाई का अवसर देने के बाद, आक्षेपित निर्णय और दोषसिद्धि एवं सजा का आदेश पारित किया। अतः, यह अपील अपीलकर्ता संख्या 1 राम नारायण, अपीलकर्ता संख्या 2 जानेंद्री (जनेंद्री), अपीलकर्ता संख्या 3 राम फेर और अपीलकर्ता संख्या 4 राम उगर उर्फ राम उगा की ओर से दायर की गई है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(10) इस अपील के लंबित रहने के दौरान, अपीलकर्ता संख्या 2; जानेंद्री (जनैद्री) और अपीलकर्ता संख्या 3; राम फेर का निधन हो गया, अतः उनकी ओर से अपील निरस्त हो गई। अतः यह अपील केवल अपीलकर्ता संख्या 1; राम नारायण और अपीलकर्ता संख्या 4; राम उगर उर्फ राम उग्रा की ओर से ही जीवित है।

(11) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को उक्त आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा उचित रूप से अभिलेखीय साक्ष्य और सामग्री पर विचार किए बिना दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है। उन्होंने आगे कहा कि अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्यों में विरोधाभास हैं, पी.डब्ल्यू.2 और 4 (यानी शिकायतकर्ता) की घटनास्थल पर उपस्थिति संदिग्ध है, पी.डब्ल्यू.2, 3 और पी.डब्ल्यू.1 की गवाही में महत्वपूर्ण विरोधाभास है। उन्होंने आगे कहा कि पी.डब्ल्यू.2, 3 और पी.डब्ल्यू.1 एक ही गांव के हैं और वे हितधारक गवाह हैं। उन्होंने आगे कहा कि चोटें अपराध में प्रयुक्त कथित हथियार से मेल नहीं खाती और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन नहीं करती। उन्होंने आगे कहा कि बैल की खरीद की रसीद पर हस्ताक्षर न तो अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट से मेल खाते हैं और न ही अदालत में गवाह के रूप में उपस्थित सरकारी हस्तलेख विशेषज्ञ की रिपोर्ट से। उन्होंने आगे बताया कि अभियोजन पक्ष के अनुसार, राम फेर और जानेंद्री के पास फरसा, राम उगर और नाइयर के पास लाठी और राम नारायण के पास भाला था। अवर न्यायालय ने नाइयर को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया, इसलिए राम उगर भी संदेह का लाभ पाकर बरी होने के हकदार हैं, लेकिन अवर न्यायालय ने इस पर विचार नहीं किया और उन्हें भी दोषी ठहरा दिया। उन्होंने यह भी बताया कि मृतक राम शंकर की चाची, जो एक महत्वपूर्ण गवाह थीं, की गवाही नहीं ली गई। उन्होंने आगे कहा कि विचारण में विवेक का प्रयोग न होने के कारण विचारण त्रुटिपूर्ण हो गया, क्योंकि अभियुक्तों के बयान धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत पुराने दंड प्रक्रिया संहिता यानी दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 364 के तहत दर्ज किए गए थे। उन्होंने यह भी कहा कि अवर न्यायालय में 3 मई 1981 को साक्ष्य समाप्त हो गए थे और चूंकि पीठासीन अधिकारी, जिन्होंने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया है, ने कई बार निर्णय की तारीखें तय करने के बाद भी फैसला नहीं सुनाया था, इसलिए इस न्यायालय यानी उच्च न्यायालय में मामले के स्थानांतरण के लिए आवेदन किया गया था और 5 अक्टूबर 1981 के आदेश द्वारा मामला द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था और इस बीच, उक्त पीठासीन अधिकारी ने द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण कर लिया था और उन्होंने आक्षेपित निर्णय और आदेश पारित किया था, जबकि जब इस न्यायालय द्वारा स्थानांतरण आवेदन पर मामला उनके न्यायालय से स्थानांतरित किया गया था, तब वे इस पर निर्णय नहीं ले सकते थे, इसलिए आक्षेपित निर्णय और आदेश कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है।

(12) उपरोक्त के आधार पर, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आक्षेपित निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और अपीलकर्ताओं को बरी किया जाना चाहिए। उन्होंने अनिल फुकन बनाम असम राज्य; एआईआर 1993 एससी 1462, कर्नाटक राज्य बनाम बाबू और अन्य; एआईआर 1994 एससी 31, सुरेश राय और अन्य बनाम बिहार राज्य; एआईआर 2000 एससी 2207, सुरेंद्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य; उपचारात्मक याचिका (आपराधिक) संख्या..... 2025 @ डायरी संख्या 49297 2025 आर.पी (आपराधिक) संख्या 395/2014 में आपराधिक अपील संख्या 2227 2010, इंद्रकुंवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य; 2023 लाइव लॉ (एससी) 932, कालीचरण और अन्य पर भरोसा किया। बनाम उत्तर प्रदेश राज्य; 2022 लाइव लॉ (एससी) 1027 और रीना हजारिका बनाम असम राज्य; (2019) 13 एससीसी 289.

(13) इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि अवर न्यायालय द्वारा विधि के अनुसार दोषसिद्धि और सजा का आक्षेपित निर्णय और आदेश सही ढंग से पारित किया गया है। उन्होंने आगे कहा कि एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी और केवल इसलिए कि अभियोजन पक्ष के गवाहों और अदालत के गवाहों के साक्ष्य में मामूली विरोधाभास हैं, यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी गवाही अविश्वसनीय है। उन्होंने आगे कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभियोजन पक्ष के मामले की पुष्टि करती है और हत्या का ठोस मकसद था। उन्होंने आगे कहा कि बैल की बिक्री का तथ्य बचाव पक्ष द्वारा उठाया गया था और इस संबंध में एक हलफनामा भी दायर किया गया था, जिसे तुरंत सील कर दिया गया था। उन्होंने आगे कहा कि पुराने अधिनियम के प्रारूप पर धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ताओं के बयान दर्ज करना एक अनियमितता हो सकती है, लेकिन अवैधता नहीं, जिसके कारण विचारण को दूषित कहा जा सके।

(14) उपरोक्त के आधार पर, विद्वान एजीए ने प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ताओं को विचाराधीन निर्णय और आदेश द्वारा सही ढंग से दोषी ठहराया गया है और सजा सुनाई गई है, जो एक तर्कसंगत और स्पष्ट "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



आदेश द्वारा पारित किया गया है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क कि मामले को पीठासीन अधिकारी के न्यायालय से द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने के बाद भी, जिसने विचाराधीन आदेश पारित किया है, वह आदेश पारित नहीं कर सकता था और विचाराधीन निर्णय और आदेश को रद्द किया जाना चाहिए, भ्रामक और निराधार है, क्योंकि, पहला, ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नहीं किया गया है और इस पर अवर न्यायालय ने विचार किया था और आदेश पारित करने के बाद, विचारण का फैसला किया गया था, जिसे चुनौती नहीं दी गई थी। दूसरा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता यह भी दिखाने में विफल रहे कि अपीलकर्ताओं को इसके कारण कोई नुकसान हुआ है। इस प्रकार, विद्वान एजीए ने प्रस्तुत किया कि अपील भ्रामक और निराधार आधारों पर दायर की गई है और अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता के कोई भी तर्क मान्य नहीं हैं। अपील खारिज किए जाने योग्य है।

(15) हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों पर विचार किया है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

(16) आक्षेपित निर्णय एवं आदेश को चुनौती देने के आधारों में से एक यह है कि 3 मई, 1981 को साक्ष्य बंद होने के बाद भी, चूंकि संबंधित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा निर्णय नहीं सुनाया गया था, जबकि उस समय पीठासीन अधिकारी वही अधिकारी थे जिन्होंने आक्षेपित निर्णय एवं आदेश पारित किया था, इसलिए मामले को स्थानांतरित करने के लिए इस न्यायालय के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था और इस न्यायालय द्वारा 5 अक्टूबर, 1981 के आदेश के माध्यम से मामले को द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इस बीच, उक्त पीठासीन अधिकारी ने द्वितीय अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश का कार्यभार ग्रहण कर लिया था, इसलिए इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश के मददेनजर वे मामले का निर्णय नहीं कर सकते थे। हालांकि, इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश न तो अवर न्यायालय के अभिलेख में उपलब्ध है और न ही अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया है।

(17) अवर न्यायालय के अभिलेखों की जाँच करने पर यह पाया गया कि 13.05.1981 को सी. डब्ल्यू-1 का साक्ष्य दर्ज किया गया और मामले की बहस की तारीख 28.05.1981 तय की गई। इसके बाद बहस के लिए कुछ और तारीखें तय की गईं। 08.07.1981 को पीठासीन अधिकारी के तबादले के कारण मामले को स्थगित कर दिया गया और 14.07.1981 को अभियुक्त के अधिवक्ता द्वारा कुछ दस्तावेज अभिलेख में प्रस्तुत किए गए। 05.10.1981 के आदेश द्वारा उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मामले को द्वितीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया। हालांकि, न तो उच्च न्यायालय के आदेश की तारीख का उल्लेख है और न ही उच्च न्यायालय के मामले का क्रमांक। अपीलकर्ताओं के अधिवक्ता भी इसे प्रस्तुत और प्रदर्शित नहीं कर सके। सी.डब्ल्यू.-2 की परीक्षा 03.05.1982 को हुई। इसके बाद अभियुक्तों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज किए गए और मामले की सुनवाई के लिए तारीख तय की गई। 24.05.1984 को सुनवाई की तारीख 29.05.1982 तय की गई। उक्त तारीख को सुनवाई के बाद, मामले का फैसला 31.05.1982 को सुनाया गया। हालांकि, अभियुक्तों द्वारा बाद में दायर एक आवेदन पर, सुनवाई की तारीख बदलकर 07.06.1982 कर दी गई।

(18) अवर न्यायालय ने 07.06.1982 को सत्र न्यायाधीश के आदेश में हुए बदलाव के मददेनजर, पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सुनवाई के बाद मामले के स्थानांतरण के संबंध में एक आदेश पारित किया। आदेश में उल्लेख किया गया है कि यह मामला उच्च न्यायालय द्वारा 28.09.1981 को पारित आदेश द्वारा उक्त न्यायालय में स्थानांतरित किया गया था। यह मामला जुलाई 1981 में प्रभारी सत्र न्यायाधीश के रूप में उनके द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश के तहत उक्त न्यायालय में स्थानांतरित नहीं किया गया था, बल्कि उच्च न्यायालय द्वारा 28.09.1981 को पारित किया गया था। यह देखा गया है कि इस तथ्य को पहले कभी उनके संज्ञान में नहीं लाया गया था और आदेश गोंडा के तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में दायर किया गया था और चूंकि यह मामला धारा 409 सीआरपीसी के तहत स्थानांतरित किए जाने वाले मामलों की सूची में शामिल था, इसलिए इसे उस आदेश के अनुपालन में उक्त न्यायालय में आया हुआ माना गया। उन्होंने आगे दर्ज कराया कि उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का अध्ययन किया है और उस आदेश के अवलोकन से यह प्रतीत होता है कि मामला नाम से उनके न्यायालय को स्थानांतरित किया गया था, इसलिए वर्तमान स्थिति के अनुसार मामले का निपटारा केवल उन्हीं

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



द्वारा किया जाना था। अंत में, यह भी दर्ज किया गया है कि आरोपी ने भी कहा कि मामले का निपटारा उन्हीं द्वारा किया जाना चाहिए। उक्त आदेश को चुनौती नहीं दी गई।

(19) उपरोक्त के मद्देनजर, चूंकि इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही अवर न्यायालय के अभिलेख में है, इसलिए उपरोक्त आदेश से जो स्थिति स्पष्ट होती है, उस पर किसी भी प्रकार से संदेह नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश में उक्त पीठासीन अधिकारी और न्यायालय द्वारा मामले के निपटारे के लिए अपीलकर्ताओं की सहमति भी दर्ज है। इस प्रकार, इस न्यायालय को उक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा मामले के निपटारे में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं मिलती है। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उक्त पीठासीन अधिकारी द्वारा आक्षेपित आदेश पारित करने के कारण अपीलकर्ताओं को हुई किसी भी प्रकार की हानि को प्रदर्शित करने में विफल रहे हैं। इस न्यायालय को उपरोक्त तथ्यों के कारण भी अपीलकर्ताओं को हुई कोई हानि नहीं मिलती है। इस प्रकार, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया तर्क भ्रामक और निराधार है, अतः इसे अस्वीकार किया जाता है।

(20) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाया गया दूसरा आधार यह है कि अवर न्यायालय ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 364 के तहत अपीलकर्ताओं के बयान निर्धारित प्रपत्र पर दर्ज किए, जबकि उक्त अधिनियम उस समय अस्तित्व में नहीं था क्योंकि उक्त अधिनियम को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 484 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, जो 01.04.1974 से प्रभावी हुई थी। अतः, संपूर्ण कार्यवाही दूषित है और रद्द किए जाने योग्य है। दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 को धारा 484 द्वारा निरस्त कर दिया गया था, लेकिन दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 484(2)(ख) के माध्यम से, उक्त संहिता के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू सभी निर्धारित प्रपत्रों को, अन्य प्रपत्रों के साथ, इस संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत क्रमशः प्रकाशित, जारी, प्रदान, निर्धारित, परिभाषित, पारित या निर्मित माना गया है, जिसका उद्धरण नीचे दिया गया है:-

“पुराने संहिता के तहत प्रकाशित सभी अधिसूचनाएं, जारी की गई घोषणाएं, प्रदत्त शक्तियां, निर्धारित प्रपत्र, परिभाषित स्थानीय क्षेत्राधिकार, पारित सजाएं और आदेश, नियम और नियुक्तियां, जो विशेष मजिस्ट्रेट के रूप में नियुक्तियां नहीं हैं और जो इस संहिता के प्रारंभ होने से ठीक पहले लागू थीं, उन्हें क्रमशः इस संहिता के संबंधित प्रावधानों के तहत प्रकाशित, जारी, प्रदत्त, निर्धारित, परिभाषित, पारित या की गई माना जाएगा;

(21) साधारण खंड अधिनियम, 1897 की धारा 8 निरस्त अधिनियमों के संदर्भों की व्याख्या प्रदान करती है। इसमें प्रावधान है कि यदि यह अधिनियम, या इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद निर्मित कोई केंद्रीय अधिनियम या विनियम, किसी पूर्व अधिनियम के किसी प्रावधान को संशोधन सहित या बिना संशोधन के निरस्त करके पुनः अधिनियमित करता है, तो किसी अन्य अधिनियम या किसी दस्तावेज में निरस्त प्रावधान के संदर्भों को, जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, पुनः अधिनियमित प्रावधान के संदर्भों के रूप में समझा जाएगा। उपरोक्त के मद्देनजर, प्रावधान का उद्देश्य यह है कि यदि कोई अधिनियम निरस्त करके पुनः अधिनियमित किया जाता है, तो किसी अन्य अधिनियम या दस्तावेज में निरस्त पूर्व अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भों को, जब तक कि कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, पुनः अधिनियमित नए प्रावधान के संगत प्रावधान के संदर्भों के रूप में पढ़ा और समझा जाना चाहिए। अतः जिस प्रारूप पर धारा 364 सीआरपीसी, 1898 के तहत बयान दर्ज किया गया था, उस प्रारूप में प्रावधान का संदर्भ धारा 313 सीआरपीसी, 1973 के संदर्भ में होगा।

(22) उपरोक्त के मद्देनजर, पुराने अधिनियम के तहत निर्धारित प्रपत्रों को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के संबंधित प्रावधानों के तहत निर्धारित माना गया है। अभिलेखों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि यद्यपि अभियुक्त/अपीलकर्ताओं के बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे, लेकिन यह 10.05.1982 को दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 की धारा 364 के तहत बयान के लिए निर्धारित प्रपत्र पर शुरू हुआ था, जबकि उक्त तिथि के आदेश पत्र में यह उल्लेख किया गया है कि अभियुक्त व्यक्तियों के बयान धारा 313 सीआरपीसी के तहत दर्ज किए गए थे।

(23) अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ताओं के बयानों में उपर्युक्त के अलावा कोई विसंगति, अवैधता या त्रुटि इंगित करने में विफल रहे। इस न्यायालय का मत है

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



कि यह एक अनियमितता हो सकती है, लेकिन इसे ऐसी अवैधता नहीं कहा जा सकता जो विचारण या मामले की योग्यता को स्वयं प्रभावित करती हो, जिसके कारण संपूर्ण विचारण दूषित हो गया हो। इसके अलावा, अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता उक्त तिथि के आदेश पत्र में उल्लिखित धारा 313 सीआरपीसी के तहत अपीलकर्ताओं के दर्ज बयानों में किसी भी प्रकार की विसंगति या अवैधता को इंगित करने में विफल रहे हैं, जिससे अपीलकर्ताओं को किसी भी प्रकार का नुकसान हुआ हो। यह भी विधि में स्थापित है कि केवल गलत प्रावधान का उल्लेख करने मात्र से आदेश या कोई कार्यवाही आदि दूषित या रद्द नहीं मानी जा सकती। वैसे भी, यह केवल प्रक्रियात्मक उल्लंघन हो सकता था, इसलिए अपीलकर्ताओं को यह साबित करना होगा कि इसके कारण उन्हें अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं मिला और इससे उन्हें किसी भी तरह से नुकसान हुआ, लेकिन वे ऐसा करने में विफल रहे। अतः, इस संबंध में दिया गया तर्क पूरी तरह से निराधार और निराधार है और इसे खारिज किया जाना चाहिए, तदनुसार खारिज किया जाता है।

(24) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इंद्रकुंवर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य (उपरोक्त) मामले में यह धारित किया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत न्यायालय का यह दायित्व है कि वह अभियुक्त को प्रश्न के रूप में सभी दोष सिद्ध करने वाली परिस्थितियाँ प्रस्तुत करे ताकि उसे अपना बचाव प्रस्तुत करने का अवसर मिले। इस प्रकार प्रस्तुत किए गए बचाव की सावधानीपूर्वक जाँच और विचार किया जाना चाहिए। इस धारा का अनुपालन न करने से अभियुक्त को नुकसान हो सकता है और निष्पक्ष निर्णय तक पहुँचने की प्रक्रिया बाधित हो सकती है। हालाँकि, यह कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 3 के तहत साक्ष्य के रूप में योग्य नहीं है। फिर भी, कथन से जो भी दोष सिद्ध करने वाला पहलू सामने आता है, उसका उपयोग अभियोजन पक्ष के मामले को विश्वसनीयता प्रदान करने के लिए किया जा सकता है।

(25) इसी प्रकार का विचार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कालीचरण और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (उपरोक्त) और रीना हजारिका बनाम असम राज्य (उपरोक्त) के मामलों में व्यक्त किया है। रीना हजारिका बनाम असम राज्य (उपरोक्त) के मामले में दिए गए निर्णय का प्रासंगिक अनुच्छेद 19 नीचे उद्धृत किया गया है:-

"19. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 को मात्र ऑडी अल्टरम पार्टम (प्रतिवादी का पक्ष लेने का अधिकार) के भाग के रूप में नहीं देखा जा सकता। यह अभियुक्त को अपनी निर्दोषता सिद्ध करने का एक महत्वपूर्ण अधिकार प्रदान करती है और इसे संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत निष्पक्ष सुनवाई के संवैधानिक अधिकार के रूप में वैधानिक अधिकार से कहीं अधिक माना जा सकता है, भले ही इसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(2) के अंतर्गत शपथ पर न होने के कारण ठोस साक्ष्य न माना जाए। इस न्यायालय द्वारा इस अधिकार के महत्व पर बार-बार विचार किया गया है, लेकिन जैसा कि हम आगे की चर्चा में देखेंगे, व्यवहार में इसका अनुप्रयोग अभी भी बाकी है। यदि अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद अभियुक्त दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(1)(ख) के अंतर्गत बचाव प्रस्तुत करता है, तो न्यायालय दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313(4) के अंतर्गत उस पर विचार करने के लिए बाध्य है। केवल 'मान सकता है' शब्द का प्रयोग न्यायालय को ऐसे बचाव पर विचार करने या न करने का विवेकाधिकार प्रदान नहीं करता है, क्योंकि यह न्याय तक पहुँच के लिए अभियुक्त का एक महत्वपूर्ण अधिकार है, और इससे उत्पन्न होने वाले पूर्वाग्रह की संभावना। बचाव पक्ष का तर्क स्वीकार्य है या नहीं और उपलब्ध साक्ष्यों के अनुरूप है या नहीं, यह एक बिल्कुल अलग मुद्दा है। यदि धारा 313 सीआरपीसी के तहत दिए गए बचाव पर बिल्कुल भी विचार नहीं किया गया है, तो मामले के दिए गए तथ्यों के आधार पर दोषसिद्धि अमान्य हो सकती है। हमारे विचार में, न्याय प्रदान करने के लिए न्यायालय का यह गंभीर कर्तव्य है कि वह धारा 313 सीआरपीसी के तहत आरोपी द्वारा दिए गए बचाव पर पर्याप्त रूप से विचार करे और लिखित रूप में निर्दिष्ट कारणों के आधार पर उसे स्वीकार या अस्वीकार करे।"

(26) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश राज्य बनाम सुधीर कुमार सिंह और अन्य (2021) 19 एससीसी 706 के मामले में यह माना कि ऑडी अल्टरम पार्टम नियम का उल्लंघन मात्र से, बिना किसी अन्य कारण के, यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि इससे पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। जहाँ विधि के प्रक्रियात्मक और/या मूल प्रावधान प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को समाहित करते हैं, वहाँ उनका उल्लंघन स्वतः ही पारित आदेशों की अमान्यता का कारण नहीं बनता।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(27) वर्तमान मामले के तथ्यों पर गौर करें तो, घटना 08.03.1979 को शाम लगभग 4:00 बजे घटी थी। घटना की एफआईआर उसी दिन शाम लगभग 6:45 बजे थाना कोतवाली देहात, जिला गोंडा में दर्ज की गई थी। थाना और घटना स्थल की दूरी लगभग 6.5 मील है। एफआईआर (प्रदर्श का-5) गवाह-2 राजेंद्र प्रसाद की लिखित शिकायत (प्रदर्श का-2) के आधार पर दर्ज की गई थी। इसकी जीडी प्रविष्टि की गई थी, जिसे जांच अधिकारी बृज नारायण सिंह ने प्रदर्शनी का-6 के रूप में प्रमाणित किया। जांच अधिकारी ने एफआईआर, एफआईआर दर्ज करने का समय और जांच शुरू होने का समय भी प्रमाणित किया। इस प्रकार, एफआईआर तुरंत दर्ज की गई थी और एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी। अवर न्यायालय ने भी, अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों और सामग्री पर विचार करने के बाद पाया कि एफआईआर दर्ज करने में कोई देरी नहीं हुई थी और इसे किसी से परामर्श किए बिना दर्ज किया गया था।

(28) अपराध करने के उद्देश्य के संबंध में, अवर न्यायालय ने पाया है कि अभियुक्तों द्वारा अपराध करने का प्रत्यक्ष और सुनियोजित उद्देश्य था। अवर न्यायालय ने पाया कि यह उद्देश्य शिकायतकर्ता और मृतक के नाम समाई दीन (राम नारायण के पिता) की हत्या के आरोपियों की सूची में होने से संबंधित है, जिनकी हत्या दिसंबर 1978 में हुई थी। गवाह-2 राजेंद्र प्रसाद ने अपने मुख्य बयान में उद्देश्य के बारे में गवाही दी और बताया कि वह और मृतक राम शंकर, जो उनके चाचा थे, समाई दीन की हत्या के आरोपी थे। घटना से लगभग 22 दिन पहले ही उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। इस तथ्य का उल्लेख एफआईआर में भी किया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता के चचेरे भाई, अभियुक्त राम फेर और जनेंद्री उनकी जमीन पर खेती करना चाहते थे और वास्तव में उन्होंने दो फसली वर्षों तक खेती की थी। आरोपी नैयर, जो उपरोक्त समाई दीन का दामाद है, ने यह भी बताया कि उसके चाचा राम फेर ने लगभग तीन साल पहले आरोपी राम उग्रा पर हमला किया था और इसी से संबंधित धारा 325 आईपीसी के तहत एक आपराधिक मामला लंबित था, जब उसकी हत्या हुई। जिरह में उसने अपने मुख्य बयान से कोई विचलन नहीं किया, जिससे उसके बयान पर कोई संदेह उत्पन्न हो सके। हालांकि बचाव पक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की कि शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद का अपने चाचा राम शंकर की विधवा के साथ कोई अवैध संबंध था और उसकी हत्या रात में किसी और ने की थी, लेकिन उन्हें झूठा फंसाया गया है। हालांकि, बचाव पक्ष इसे साबित करने में विफल रहा और न ही शिकायतकर्ता से ऐसा कुछ निकलवा सका जिससे शिकायतकर्ता और मृतक की विधवा के बीच किसी भी तरह के अवैध संबंध का संकेत मिल सके।

(29) यह प्रत्यक्ष साक्ष्य और चश्मदीद गवाह के बयान का मामला है। प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में, यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य दोष सिद्ध करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो तो उद्देश्य का कोई महत्व नहीं रह जाता, और ऐसी परिस्थितियों में उद्देश्य की भूमिका केवल पुष्टिकारक ही हो सकती है, इससे अधिक नहीं। अतः, इस मामले की जांच अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत प्रत्यक्ष साक्ष्य और अभिलेख में दर्ज सामग्री के आधार पर की जानी है।

(30) शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद पी.डब्ल्यू.-2 के रूप में उपस्थित हुए। उन्होंने बताया कि लगभग 18 महीने पहले, वे अपने चाचा राम शंकर के साथ अपने घर से खमारिया जा रहे थे, जहाँ उनके चाचा के पास साढ़े पाँच बीघा ज़मीन थी, जिसकी जुताई हो रही थी। वे उसे देखने गए थे। वे सुबह 10:00 बजे खमारिया पहुँचे और सत्तार द्वारा आधी जुताई किए गए खेत को देखकर, अपने वादे के अनुसार, सुबह 10:30 बजे साजपुर मंडी की ओर चल दिए, ताकि अपने गाँव के गुरचरण कोरी के लिए बैल खरीद सकें। साजपुर मंडी में गुरचरण कोरी उनसे मिले, फिर वे टैक्सी से धनेपुर गए और वहाँ वर्दाही मंडी में उन्होंने अपने गाँव के नन्हू से बैल खरीदा। डॉक्टर ने बैल की जाँच कर ली थी और उसकी रसीद भी दी गई थी। बैल खरीदने के बाद, तीनों व्यक्ति टेम्पो से वापस साजपुर आ गए। उन्होंने बैल के मालिक नन्हू से कहा कि वह बैल को गाँव में सौंप दे। वहाँ से वह और उसके चाचा खमारिया गए और गुरचरण अपने मामा के लिए साजपुर बाजार बैल देखने गया, क्योंकि उसके मामा ने उसे साजपुर में एक आदमी का बैल देखने के लिए कहा था और अगर वह अच्छा हुआ तो वे उसे खरीद लेंगे। वह और उसके मामा राम शंकर पैदल खमारिया गए और गुरचरण से कहा कि वे साजपुर लौटने के बाद उससे मिलेंगे और फिर साथ चलेंगे। वह और उसके मामा राम शंकर दोपहर 2:00 बजे साजपुर से लौटे, जहाँ गुरचरण उनसे मिला।

(31) उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने चाय पी और फिर पैदल अपने गाँव के लिए चल पड़े, जो लगभग 1.5 से 1.75 मील दूर है। वे उत्तराउला धनेपुर रोड से आ रहे थे और शाम लगभग 4 बजे पटखौली गाँव के पास पहुँचे, जहाँ आरोपी राम नारायण, राम फेर, जनेंद्री, राम उग्रा और नैयर सड़क के पश्चिम में अरहर के खेत में बैठे थे। जब वे वहाँ पहुँचे, तो सभी पाँचों आरोपी बाहर आ गए और उनका पीछा करने लगे। राम नारायण "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



के हाथ में बंदूक थी, राम फेर और जनेंद्री के हाथों में फरसा था और नैयर और राम उग्रा के हाथों में लाठी थी। उन्होंने आगे बताया कि आरोपी राम उग्रा आगे आया और जान से मारने के लिए उकसाया और इसी उकसावे के साथ उसने राम शंकर के घुटने पर लाठी से वार किया। उसका चाचा रोता हुआ पूर्व की ओर भागा, वह और गुरचरण उत्तर की ओर भागे। अचानक वे राम शंकर को लगभग 100 गज पूर्व दिशा में चने और राई के खेत में घसीटते हुए ले गए, जहाँ राई की फसल कट चुकी थी और चना खड़ा था। राम शंकर वहीं गिर पड़े और आरोपी उन्हें अपने हथियारों से पीटते रहे। राम शंकर और गुरचरण सड़क से चिल्लाने लगे, तभी गवाह भीखम दत्त और लक्ष्मी प्रसाद वहाँ आ गए। लक्ष्मी के हाथ में लाठी थी और वह दक्षिण दिशा की ओर जा रही थी, जबकि भीखम साइकिल से उत्तर दिशा की ओर जा रहे थे। गवाहों ने उन्हें डांटा, लेकिन आरोपी राम शंकर को मारकर भाग गए। इसके बाद वे मृतक के पास गए और उन्हें मृत पाया। फिर गुरचरण को शव के पास छोड़कर अपने घर चले गए। गवाह भी वहीं रुके रहे।

(32) उसने अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि वह आरोपी राम नारायण, राम फेर, जनेंद्री, राम उग्रा और नैयर को जानता है। राम नारायण के पिता की हत्या कर दी गई थी और वह तथा उसका चाचा, मृतक राम शंकर, उक्त मामले में आरोपी थे और घटना के ठीक 22 दिन पहले ही उन्हें जमानत पर रिहा किया गया था। राम फेर और जनेंद्री उसके सह-किरायेदार हैं। उनके पिता और उसके दादा सगे भाई थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद, वह मृतक राम शंकर के साथ रहने लगा। आरोपी राम फेर और जनेंद्री उसके खेत में हल चलाना चाहते थे, लेकिन राम शंकर के साथ रहने के कारण वे ऐसा नहीं कर सके, इसलिए वे राम शंकर से शत्रुता रखते थे और राम शंकर की मृत्यु के बाद ढाई साल तक उन्होंने खेत में हल चलाया। नैयर समाई दीन का दामाद है। समाई दीन आरोपी राम नारायण का पिता था, जिसकी हत्या में वह और उसका चाचा आरोपी थे। उसके चाचा राम शंकर ने करीब तीन साल पहले आरोपी राम उग्रा की पिटाई की थी, जिसके चलते आईपीसी की धारा 325 के तहत मामला दर्ज किया गया था और उपरोक्त दुश्मनी के कारण आरोपियों ने अपराध किया है।

(33) उन्होंने आगे बताया कि अपने घर पहुँचने के बाद उन्होंने एक कागज़ पर रिपोर्ट लिखी और रिपोर्ट देखने के बाद उन्होंने कहा कि यह वही रिपोर्ट है जो उन्होंने लिखी थी और इसे प्रदर्श का-2 के रूप में चिह्नित किया गया। घर से वे कोतवाली गए और मुंशी को रिपोर्ट दी और मुंशी ने उन्हें चिक दी। उन्होंने आगे बताया कि इंस्पेक्टर ने पुलिस स्टेशन में उनका बयान दर्ज किया था। इसके बाद, इंस्पेक्टर उनके साथ उनके घर आए और उनकी चाची आदि को सांत्वना देने के बाद वे घटना स्थल पर गए। इस बीच, रात हो चुकी थी, इसलिए जांच अधिकारी ने अपने घर से एक पलंग मंगवाई और वे घटना स्थल पर रुके। सुबह जांच रिपोर्ट तैयार की गई। वे जांच के साक्षी भी थे और उन्होंने जांच रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित किए। इसके बाद, जांच अधिकारी ने उनके बताए अनुसार घटनास्थल का नक्शा तैयार किया। घटनास्थल का नक्शा देखकर उन्होंने कहा कि घटनास्थल का नक्शा सही ढंग से तैयार किया गया था। इसके बाद, मृतक के खून और मिट्टी से सने पीले स्वेटर वाले एक सीलबंद बंडल को खोला गया, जिसे उन्होंने अपना प्रमाणित किया और प्रदर्श के रूप में चिह्नित किया। 1 से 8 तक। उसने बताया कि स्वेटर में कोई कटाव या छेद दिखाई नहीं दे रहा था। हालांकि, गवाह द्वारा दिखाए गए कोट के निचले हिस्से पर खून और मिट्टी से सना हुआ एक कटाव था और दूसरा कॉलर पर था। कोट के कटे हुए हिस्से में भूरे धागे मुड़े हुए थे, जबकि पीले धागे सही सलामत थे। गवाह ने कोट के अंदर खून से सने सूखे हुए कपड़े भी दिखाए। उसने कमीज पर खून के धब्बे के ऊपर का कटाव भी दिखाया, जिसका ताना सही सलामत था। उसने यह भी कहा कि अंदर की तरफ भी खून के बड़े-बड़े धब्बे थे जिनसे खून की गंध आ रही थी। फिर उसने धोती पर खून के धब्बे और निचले हिस्से में कटाव दिखाया। धोती बुरी तरह से फटी हुई थी। गवाह ने धोती के टुकड़ों को जोड़कर फर्श पर एक टुकड़ा बनाया। उसने धोती के बीच में खून का एक निशान भी दिखाया, जो खून से लथपथ टुकड़ों की एक लंबी कतार बन गया था। उसने धोती के किनारे के पास लंबाई में दो छेद भी दिखाए। अंडरवियर फटा हुआ था। इसके बाद उसने अंडरवियर पर चिपकी हुई कुछ लाल रंग की चीज दिखाई और दावा किया कि उसमें मल जैसी गंध आ रही थी।

(34) जिरह में राजेंद्र प्रसाद ने मुख्य परीक्षा में दिए गए अपने साक्ष्य को बरकरार रखा। उन्होंने यह भी कहा कि बैल बिक्री की रसीद पर उनके और अन्य लोगों के हस्ताक्षर हैं और वे तथा राम शंकर पशु मेले में तैयार की गई उस रसीद के गवाह थे तथा मृतक राम शंकर की जेब से आरोपी द्वारा रसीद निकाले जाने के गवाह थे। उन्होंने कहा कि बैल खरीदने के लिए ऋण केवल पशु चिकित्सक के माध्यम से सहकारी समिति से ही लिया जा सकता था। उन्होंने यह भी बताया कि डॉक्टर ने उस दिन दो बैल खरीदने के लिए 2,112 रुपये दिए

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



थे, जिनसे उक्त दो बैल खरीदे गए थे। रसीद राम शंकर ने अपनी जेब में रखी थी, जिसे आरोपी ने छीन लिया था। हालांकि, वे यह नहीं बता सके कि आरोपी ने और क्या-क्या चीजें लूटीं। जिरह के दौरान उन्होंने आगे कहा कि उस समय व्यथित होने के कारण उन्होंने राम शंकर और गुरचरण के साथ धनपुर जाने का जिक्र एफआईआर में, जांच अधिकारी को दिए अपने बयान में और जमानत के समय दिए गए हलफनामे (प्रदर्श खा-1ए) में नहीं किया। हालांकि, बैल खरीदने के लिए जाने का जिक्र एफआईआर में है। गुरचरण की शिकायतकर्ता और मृतक से साजपुर में दोपहर 3 बजे हुई मुलाकात का जिक्र भी एफआईआर में है। दरअसल, जैसा कि अभिलेख और अवर न्यायालय के फैसले से स्पष्ट है, बचाव पक्ष ने रसीद और डॉक्टर का प्रमाण पत्र पेश किया है और जमानत के समय सत्र न्यायालय में प्रतिप्रतिलिपि रसीद को तलब किया गया और सील किया गया था। ये रसीदें अभियोजन पक्ष के साक्ष्य में प्रदर्श का-3 और प्रदर्श का-4 तथा बचाव पक्ष के साक्ष्य में प्रदर्श खा-3 और प्रदर्श खा-4 हैं, जिनमें गुरचरण खरीदार और नन्हू दो बैलों के विक्रेता के रूप में दर्ज हैं। इसलिए, यह तर्क नहीं दिया जा सकता कि एफआईआर में मृतक के साथ धनपुर पशु मेले में जाने के संबंध में कुछ भी नहीं है।

(35) अपनी जिरह में उन्होंने यह भी बयान दिया है कि वे, गुरचरण, नन्हू और राम शंकर दोपहर 12:00 बजे डॉक्टर के पास पहुँचे थे, जहाँ डॉक्टर ने उनके और उनके दिवंगत चाचा के हस्ताक्षर और गुरचरण और नन्हू के अंगूठे के निशान लिए थे। इसके बाद, पशु चिकित्सक ने गुरचरण को पैसे दिए, जो उसने नन्हू को दे दिए। उन्होंने डॉक्टर के कार्यालय की दूरी भी बताई, जो पशु मेले से लगभग 1.5-2 फर्लांग थी। उन्होंने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव का खंडन किया कि वे पशु मेले में नहीं गए थे और रसीद पर जाली अंगूठे के निशान बनवाए गए थे। वैसे भी, अवर न्यायालय ने सही ही दर्ज किया है कि जब बचाव पक्ष ने जमानत याचिका में अवर न्यायालय के समक्ष इस संबंध में दलील दी थी, तो वे स्वयं इस पर संदेह नहीं कर सकते थे। आगे की जिरह में उन्होंने इस बात की व्याख्या की कि उनके और राम शंकर के खामरिया जाकर सत्तार द्वारा उनके खेत की जुताई की निगरानी करने के विवरण को क्यों छोड़ दिया गया था और उन्होंने पीड़ा का बहाना बनाकर जांच अधिकारी को जो बयान दिया था और खामरिया जाने का जिक्र उसमें मिलता है।

(36) पी.डब्ल्यू.-2 ने यह भी बताया कि राजाराम के दो सगे भाई थे जबकि राम शंकर उनका सौतेला भाई था और उसने दावा किया कि राम शंकर महादेव में 25 बीघा जमीन का मालिक है। हालांकि, वह यह नहीं बता सका कि उसे यह जमीन कैसे मिली। उसने यह भी कहा कि राम शंकर के पास खमारिया में 5.5 बीघा जमीन है लेकिन वह इसके अधिग्रहण का प्रमाण नहीं दे सका और बचाव पक्ष के इस सुझाव को खारिज कर दिया कि खमारिया की जमीन पर राजाराम खेती करता है और उसने स्वेच्छा से राम शंकर के उस जमीन पर स्वामित्व को दर्शाने वाले दस्तावेज पेश करने की पेशकश की। प्रदर्श का-13 और प्रदर्श का-14 गवाह द्वारा प्रस्तुत राजस्व दस्तावेज हैं और प्रदर्श का-13 खमारिया में लगभग 8-9 एकड़ जमीन को दर्शाने वाली खतौनी है, जबकि प्रदर्श का-14 10.09.1975 को राम शंकर को जारी किए गए 3.45 के भू-राजस्व की रसीद की एक प्रति है। अतः, उक्त साक्ष्य के आधार पर, विद्वान विचारण न्यायालय ने यह दर्ज किया है कि गवाह ने राजस्व अभिलेखों में वर्तमान स्थिति दर्शाई है और यह भी कि उसका यह कथन कि भू-राजस्व का भुगतान 4-5 वर्ष पहले तक किया गया था, सिद्ध हो गया है। इसके विपरीत, बचाव पक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने और यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के समय राम शंकर का खमारिया स्थित भूमि पर कोई अधिकार नहीं था। इस प्रकार, शिकायतकर्ता का यह कथन कि वह और मृतक राम शंकर अपनी खेती की देखरेख के लिए खमारिया गए थे, सिद्ध हो गया है और बचाव पक्ष द्वारा राजाराम को प्रस्तुत करके यह साबित करने का प्रयास कि घटना के समय राम शंकर ने खमारिया स्थित भूमि पर अपना अधिकार छोड़ दिया था, सिद्ध नहीं हो सका, जिससे अभियोजन पक्ष के मामले पर कोई संदेह नहीं रह जाता है।

(37) विद्वान विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर मौजूद सामग्री और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह दर्ज किया है कि खेती आदि विवरण गवाह के कटघरे में बताए जाने वाले विषय हैं और इससे उसकी गवाही की विश्वसनीयता कम नहीं हो सकती, इसलिए दोनों के धनपुर में बैल खरीदने के लिए जाने और सजपुर होते हुए खमारिया लौटने की एकमात्र गुम कड़ी स्पष्ट हो गई है। उन्होंने बचाव पक्ष द्वारा दिए गए इस सुझाव को भी खारिज कर दिया है कि मृतक राम शंकर के पास खमारिया में कोई जमीन नहीं थी।

(38) पी.डब्ल्यू.-2, राजेंद्र प्रसाद ने अपने बयान में कहा है कि खमारिया से वह मृतक राम शंकर के साथ घर की ओर जा रहे थे और रास्ते में वे सजपुर में रुके, जहाँ पी.डब्ल्यू.-3, गुरचरण दोपहर 3 बजे उनसे मिले और "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



तीनों ने वहाँ चाय और बेसन नमकीन खाया। इसके बाद वे आगे बढ़े, तभी घटना घटी। गवाह-3, गुरुचरण ने अभियोजन पक्ष के बयान और पी.डब्ल्यू.-2 के बयान का समर्थन किया है और पी.डब्ल्यू.-2, राजेंद्र प्रसाद के बयान की तुलना में उनके मुख्य बयान में कोई महत्वपूर्ण विरोधाभास नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि वास्तविक बिक्री से पहले उनके और अमीन राम फेर के बीच ऋण का लेन-देन हुआ था। अवर न्यायालय ने पी.डब्ल्यू.-2 और पी. डब्ल्यू.-3 के बयानों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि उनके बयानों में मामूली अंतर यह दर्शाता है कि उनके बयान स्वाभाविक हैं और वे प्रशिक्षित गवाह नहीं हैं। यह न्यायालय अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्ष से सहमत है।

(39) उसने यह भी बताया है कि उसके द्वारा खरीदे गए बैलों को खरीद के छह महीने बाद किसी कुर्मी को बेच दिया गया था। उसने जिरह में बताया कि वह और नन्हू अपने गांव महादेव से बैलों की जोड़ी लेकर धनेपुर की ओर निकले थे और नौ मील की दूरी दोपहर 12 बजे तक तय कर ली थी। धनेपुर में उसकी मुलाकात राजेंद्र और राम शंकर से हुई और बैल खरीदने के बाद वह घर की ओर चल पड़ा। उसने यह भी बताया कि घटना से लगभग 6-7 दिन पहले वह बैलों की खरीद के लिए ऋण लेने पशु चिकित्सक के पास गया था और घटना से एक दिन पहले अमीन राम फेर ने उसे पशु मेले में जाने के लिए कहा था और बिक्री का लिखित समझौता करवाया था। उसने जिरह में बताया कि उस दिन वह केवल बैल खरीदने गया था और उसके पास कोई और काम नहीं था। उसने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत अपने बयान में बैलों की खरीद के लिए धनेपुर गांव जाने का जिक्र किया है, हालांकि, उसे यह नहीं पता कि इसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने इंस्पेक्टर को बताया था कि आरोपियों ने राम शंकर की जेब तलाशी ली थी और उसमें से एक कागज निकाला था, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यह बात उनके धारा 161 सीआरपीसी के तहत दर्ज बयान में क्यों नहीं है। उन्होंने इंस्पेक्टर को यह भी बताया था कि वे अपने मामा के लिए साजपुर बैल खरीदने और उन्हें देखने गए थे। उन्होंने यह भी बताया है कि इंस्पेक्टर ने शव के पास उनका बयान दर्ज किया था। उन्होंने यह भी बताया है कि उन्होंने हत्या के दो महीने बाद इस मामले में हलफनामा दाखिल किया है। उन्होंने जिरह में आगे कहा कि उन्होंने आरोपियों को राम शंकर की पीठ या पेट पर फरसा और बल्लम से मारते हुए नहीं देखा था, हालांकि उन्होंने उन्हें सिर पर मारते हुए देखा था। उन्होंने यह भी बताया कि फरसा केवल सिर पर ही मारा गया था और मृतक की धोती काटी गई थी, कोई अन्य कपड़ा नहीं काटा गया था। उन्होंने यह भी बताया कि लक्ष्मी के पिता बैलगाड़ी ले गए थे और इंस्पेक्टर के आने तक लक्ष्मी और भीखम दत्त मौके पर ही थे। उन्होंने यह भी बताया कि इंस्पेक्टर ने रात में कोई बयान नहीं लिया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि राम शंकर अकेले थे और अंधेरे में उनकी हत्या कर दी गई और उन्हें लूटा गया और उन्होंने घटना को नहीं देखा था।

(40) पी.डब्ल्यू.4, भीखम दत्त ने बताया कि घटना वाले दिन वह शाम लगभग 4 बजे अपने घर से साइकिल से अपने गांव के उत्तर में स्थित अपने रिश्तेदार के घर जा रहा था। महादेव गांव से आगे पहुँचकर उसने गुरुचरण, राम शंकर और राजेंद्र को उत्तर दिशा से आते देखा। जब वे पटखौली गांव के पास पहुँचे तो वे चिल्लाने लगे। तब उसने अपनी साइकिल तेजी से मोड़ी और देखा कि राम नारायण, राम फेर, जनेंद्री, नैयर और राम उग्र पश्चिम दिशा से आए और पटखौली गांव के सामने राम शंकर को पीटने लगे। यह कैनोला (राई) का खेत था और उन्होंने वहीं उसे पीटा। राम फेर और जनेंद्री के हाथों में फरसा था, राम नारायण के हाथों में भाला था और नैयर और राम उग्र के हाथों में लाठी थी। राम शंकर की जेब में कुछ कागज थे, जिन्हें आरोपियों ने निकाल लिया और उस पर चिल्लाया भी। उसने आगे बताया कि राम शंकर की हत्या करने के बाद आरोपी पूर्व दिशा की ओर भाग गए। यह घटना लक्ष्मी, गुरुचरण, राजेंद्र आदि ने देखी, जो उनके पास ही खड़े थे। बाकी लोग कुछ दूरी पर थे। जब वे राम शंकर के पास गए, तो उन्हें मृत पाया। राजेंद्र प्रसाद उन्हें थाने ले गए और वहीं रोक लिया। वे कुछ समय तक वहीं रहे और फिर अपने रिश्तेदार के पास चले गए।

(41) उसने जिरह में बताया कि महादेवा में इंस्पेक्टर ने उसका बयान 8-10 दिन बाद दर्ज किया था। उसने इंस्पेक्टर को उत्तरी गाँव जाने के बारे में बताया था। यह नहीं बताया गया था कि वह कहाँ गया था और किस काम से गया था। उसने आगे बताया कि उसने उत्तरी गाँव के लोगों को हत्या के बारे में बताया था, जिन्होंने उसे चश्मदीद गवाह होने के कारण वापस न लौटने के लिए कहा था। उसने इस बात से इनकार किया कि राम शंकर का रिश्तेदार होने के कारण वह झूठी गवाही दे रहा है। उसने अदालत में जिरह में यह भी बताया कि वह राम शंकर की पत्नी को जानता है, जो राजेंद्र की मौसी है और राजेंद्र अपने परिवार के साथ वहीं रहता है। उसका छोटा भाई और मौसी भी वहीं रहते हैं। राजेंद्र की उम्र 20-25 साल होगी। वह मोटा ब्राह्मण है और मोटा ब्राह्मणों में वृद्धावस्था तक विवाह होते हैं। राम शंकर की पत्नी और राजेंद्र के बीच

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



अवैध संबंध के आरोप के बारे में उसने कहा कि यह आरोप बुरे लोगों ने लगाया है, अच्छे लोगों ने नहीं। घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति और उसके द्वारा बताई गई हमले की विधि, पी.डब्ल्यू.2 और 3 के साक्ष्यों से मेल खाती है, इसलिए न तो घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह किया जा सकता है और न ही उसकी गवाही पर, और न ही ऐसा कुछ दिखाया जा सकता है जिससे इस बारे में कोई संदेह उत्पन्न हो।

(42) उपरोक्त के मददेनजर, पी.डब्ल्यू.2, पी.डब्ल्यू.3 और पी.डब्ल्यू.4 प्रत्यक्षदर्शी हैं, जिन्होंने घटना को सिद्ध किया है और उनसे ऐसी कोई भी सामग्री नहीं निकाली जा सकी है जिससे उनकी गवाही पर कोई संदेह उत्पन्न हो, सिवाय मामूली विरोधाभासों के, जो स्वाभाविक हैं। यह स्पष्ट है कि दो व्यक्ति किसी घटना या किसी बात का वर्णन एक ही भाषा या एक ही तरीके से नहीं कर सकते और यह उनकी स्मृति और अभिव्यक्ति के तरीके के कारण भिन्न हो सकता है, जो व्यक्ति-दर-व्यक्ति भिन्न होता है। हालांकि, घटना के संबंध में उनके प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में एकरूपता है, जिसके अनुसार जब शिकायतकर्ता और मृतक शाम लगभग 4:00 बजे उत्तराउला धनेपुर रोड पर पटखौली के पास पहुंचे, तो सड़क के पश्चिम में अरहर के खेत में बैठे सभी आरोपी अपने हाथों में बंदूक, फरसा और लाठी लेकर बाहर आए और मृतक पर उपरोक्त तरीके से हमला किया और उसे मारने के बाद ही भाग गए। इस प्रकार, उपर्युक्त विवरण के अनुसार हथियारों के साथ आए सभी आरोपी मृतक को जान से मारने के इरादे से घटना स्थल के पास अरहर के खेत में बैठे थे और जब मृतक शिकायतकर्ता के साथ घटना स्थल के पास पहुंचा, तो वे अचानक प्रकट हुए और एक आरोपी के उकसाने और लाठी से वार करने पर, उन सभी ने उसे घसीटा, पीटा और उसकी हत्या कर दी।

(43) भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में यह प्रावधान है कि जब कोई आपराधिक कृत्य अनेक व्यक्तियों द्वारा पूर्व नियोजित इरादे से किया जाता है, तो उनमें से प्रत्येक उक्त आपराधिक कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होगा जैसे कि वह कृत्य अकेले उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो। भारतीय दंड संहिता की धारा 34 नीचे उद्धृत की गई है:-

“34. अनेक व्यक्तियों द्वारा सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किए गए कार्य। - जब कोई आपराधिक कृत्य अनेक व्यक्तियों द्वारा सभी के सामान्य इरादे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो ऐसे प्रत्येक व्यक्ति उस कृत्य के लिए उसी प्रकार उत्तरदायी होता है जैसे कि वह कृत्य केवल उसी व्यक्ति द्वारा किया गया हो।”

(44) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने रमेश सिंह उर्फ फोट्टी बनाम आंध्र प्रदेश राज्य; एआईआर 2004 (एससी) 4545 के मामले में यह धारित किया कि आईपीसी की धारा 34 के तहत दायित्व का सार अभियुक्तों के बीच एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में निहित है, जो ऐसे इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य करने की ओर ले जाता है, और यह निष्कर्ष अभियुक्तों के घटनास्थल पर पहुंचने के तरीके, हमले को अंजाम देने के तरीके, हमले को अंजाम देने के दृढ़ संकल्प और मिलीभगत, और उनमें से एक या कुछ द्वारा पहुंचाई गई चोट की प्रकृति से निकाला जा सकता है। इस संबंध में यह भी धारित किया गया है कि ऐसे अभियुक्तों की ओर से कोई अवैध चूक सामान्य इरादे की भागीदारी का संकेत दे सकती है। इस प्रकार, प्रत्येक मामले में परिस्थितियों की समग्रता पर विचार किया जाना चाहिए। प्रासंगिक अनुच्छेद 12 नीचे उद्धृत किया गया है:-

“12. अपीलकर्ताओं की ओर से दिए गए तर्कों को समझने के लिए भारतीय दंड संहिता में धारा 34 को शामिल करने के उद्देश्य को समझना आवश्यक है। आपराधिक दायित्व के मामले में एक सामान्य सिद्धांत यह है कि अपराध करने वाले व्यक्ति की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है और केवल वही व्यक्ति दोषी ठहराया जा सकता है जिसने अपराध किया हो। दंड संहिता में धारा 34 को शामिल करके विधायिका ने आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व का सिद्धांत स्थापित किया। उस दायित्व का सार आरोपी को जोड़ने वाले एक सामान्य इरादे के अस्तित्व में निहित है जो ऐसे इरादे को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक कृत्य करने की ओर ले जाता है। इस प्रकार, यदि कृत्य एक सामान्य इरादे का परिणाम है तो प्रत्येक व्यक्ति जिसने उस सामान्य इरादे से आपराधिक कृत्य किया है, वह किए गए अपराध के लिए जिम्मेदार होगा, चाहे अपराध करने में उसकी कितनी भी हिस्सेदारी हो। धारा 34 आईपीसी एक सामान्य इरादे पर आधारित आपराधिक कृत्य करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांतों को समाहित करती है। सामान्य इरादा मूल रूप से मन की एक अवस्था होने के कारण, ऐसे इरादे को साबित करने के लिए प्रत्यक्ष साक्ष्य प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसलिए, अधिकांश मामलों में इसे अनुमान के आधार पर ही माना जाता है।” आरोपी के आचरण या मामले की अन्य प्रासंगिक परिस्थितियों जैसे कृत्यों से निष्कर्ष निकाला

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जा सकता है। यह निष्कर्ष इस बात से निकाला जा सकता है कि आरोपी घटनास्थल पर कैसे पहुंचे, उन्होंने हमला कैसे किया, हमले को अंजाम देने का उनका दृढ़ संकल्प और मिलीभगत क्या थी, और उनमें से किसी एक या कुछ द्वारा पहुंचाई गई चोट की प्रकृति से क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है। जो लोग चोट के लिए जिम्मेदार नहीं हैं, उनके योगदान का अनुमान हमले के बाद के आचरण से भी लगाया जा सकता है। इस संदर्भ में, ऐसे आरोपी की ओर से कोई अवैध चूक भी साझा इरादे का संकेत दे सकती है। दूसरे शब्दों में, यह निष्कर्ष निकालने के लिए कि क्या आरोपियों का अपराध करने का साझा इरादा था, जिसके लिए उन्हें दोषी ठहराया जा सकता है, सभी परिस्थितियों पर विचार किया जाना चाहिए। “

(45) पी.डब्ल्यू.-2, पी.डब्ल्यू.-3 और पी.डब्ल्यू.-4 की गवाही को केवल इसलिए अविश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वे रिश्तेदार हैं या एक ही गाँव के हैं, जिसके कारण उन्हें हितधारक गवाह कहा जा सकता है, क्योंकि उनका साक्ष्य सुसंगत है और जब समग्र रूप से और उचित रूप से विचार किया जाता है, तो उनकी गवाही के बारे में कोई संदेह पैदा करने के लिए उनसे कुछ भी नहीं निकाला जा सकता है।

(46) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनिल फुकन बनाम असम राज्य (उपरोक्त) मामले में यह धारित किया है कि मृतक से मात्र संबंध होने के आधार पर उसकी गवाही को खारिज नहीं किया जा सकता, यदि वह अन्यथा विश्वसनीय और भरोसेमंद पाई जाती है। सामान्य परिस्थितियों में, एक करीबी रिश्तेदार अपने चाचा के असली हमलावर को बख्शकर किसी झूठे व्यक्ति को फंसाने वाला अंतिम व्यक्ति होगा। हालांकि, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह असली हमलावर के साथ किसी निर्दोष व्यक्ति को भी फंसा सकता है, इसलिए सावधानी बरतते हुए, हम अपराध में अपीलकर्ता की संलिप्तता के बारे में निर्णय लेने के लिए उसकी गवाही की स्वतंत्र पुष्टि की तलाश करेंगे।

(47) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक राज्य बनाम बाबू और अन्य (उपरोक्त) मामले में, मामले के तथ्यों पर विचार करते हुए और यह देखते हुए कि मृतक के बच्चों और पत्नी का आचरण अस्वाभाविक था, क्योंकि पहली बात तो यह थी कि दोनों बच्चे अपने पिता को बेरहमी से पीटे जाने के बाद अकेला नहीं छोड़ सकते थे, और किसी भी मामले में, अपने बच्चों से घटना के बारे में जानने के बाद, पत्नी को स्वाभाविक रूप से तुरंत घटनास्थल पर जाना चाहिए था, अपील को इस आधार पर खारिज कर दिया कि मृतक के दो बच्चों के प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के बावजूद, न्यायालय प्रतिवादियों के खिलाफ मामले को संदेह से परे साबित करने में सक्षम नहीं है। यह वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है और भिन्न है।

(48) अब यह देखना बाकी है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चोटें भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती हैं या नहीं, हालांकि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में यह बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

(49) पी.डब्ल्यू.-1 डॉ. वाई.एन. पाठक, जो गोंडा के सदर अस्पताल में चिकित्सा अधिकारी के पद पर तैनात थे और जिन्होंने मृतक के शव का पोस्टमार्टम 09.03.1979 को किया था, ने बताया कि मृतक की मृत्यु लगभग एक दिन पहले हुई थी, उसके चारों अंगों में अकड़न थी और कोई अपघटन नहीं था। उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रमाणित किया, जिसे प्रदर्शक का-1 के रूप में चिह्नित किया गया था, और यह राय दी कि मृत्यु का कारण मृत्यु से पहले लगी चोटों के संचयी परिणाम स्वरूप कोमा, सदमा और रक्तस्राव था। उन्होंने घटना में मृतक को लगी निम्नलिखित चोटों को प्रमाणित किया है:-

मृत्यु-पूर्व चोटें

1. चीरा लगा घाव: 1.5 सेमी x 0.5 सेमी x हड़डी तक गहरा, बाएं पैर के सामने, बाएं घुटने के जोड़ से 12 सेमी नीचे।
2. बाएं पैर में 1 सेमी x 0.5 सेमी x हड़डी तक गहरा घाव, घुटने के जोड़ से 8 सेमी नीचे।
3. 1.5 सेमी x 0.5 सेमी x हड़डी तक गहरा घाव और बाएं घुटने के नीचे पैर के जोड़ की दोनों हड़डियों में फ्रैक्चर।
4. बाएं जांघ के सामने, घुटने के जोड़ से 12 सेमी ऊपर, 0.5 सेमी x 0.5 सेमी x मांसपेशी की गहराई तक भेदी घाव। धुरी के आकार का; किनारे साफ कटे हुए।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



5. चोट: बाईं जांघ के पिछले हिस्से के मध्य में 18 सेमी x 6 सेमी का घाव, जिसके नीचे की हड्डी में फ्रैक्चर है।

6. बाईं ओर 14 सेमी x 8 सेमी का चोट का निशान।

7. पेट के बाईं ओर लंबवत रूप से स्थित 18 सेमी x 2 सेमी का चोट का निशान।

8. बाएं पेट और छाती पर अनुप्रस्थ रूप से स्थित 13 सेमी x 2 का चोट का निशान।

9. बाएं पेट पर, निप्पल के ठीक ऊपर चोट संख्या 8 के पास, 16 सेमी x 2 सेमी का घाव।

10. कलाई के जोड़ के पीछे 4 सेमी x 2 सेमी का चोट का निशान।

11. पूरे शरीर के सामने दाहिनी ओर 46 सेमी x 22 सेमी के कई घाव।

12. दाहिनी कलाई के जोड़ के बाहरी हिस्से पर 2 सेमी x 1 सेमी का खरोंच।

13. दाहिनी जांघ के मध्य सामने वाले हिस्से पर 12 सेमी x 7 सेमी का चोट का निशान, नीचे की ओर फ्रैक्चर।

14. दाहिनी जांघ के सामने, जोड़ से 14 सेमी ऊपर, 0.5 सेमी x 0.5 सेमी x मांसपेशी की गहराई तक भेदी घाव। धुरी के आकार का। जोड़ साफ कटे हुए हैं।

15. दाहिने पैर के सामने घुटने के जोड़ से 8 सेमी नीचे 13 सेमी x 1 सेमी (1.5 सेमी x 1 सेमी) का कटा हुआ घाव।

16. दाहिने घुटने के जोड़ से 10 सेमी नीचे दाहिनी लिबिया में 2.5 सेमी x 0.5 सेमी x हड्डी की गहराई तक फटा हुआ घाव और फ्रैक्चर।

17. दाहिनी ओर ठुड्डी पर 1.5 सेमी x 1 सेमी x हड्डी तक गहरा चीरा लगा हुआ है। निचले जबड़े में फ्रैक्चर है, हड्डी मौजूद है।

18. ठुड्डी के सिरे पर 2 सेमी x 0.5 सेमी x त्वचा की गहराई का चीरा लगा हुआ घाव।

19. ठुड्डी के बाईं ओर 2 सेमी x 1 सेमी x हड्डी की गहराई का चीरा लगा हुआ घाव।

20. चीरा घाव, 1 सेमी x 0.25 सेमी x होंठ कटा हुआ, निचले जबड़े और दो दांतों में फ्रैक्चर।

21. बाईं भौंह के ऊपर 1.5 सेमी x 0.5 सेमी x हड्डी तक गहरा चीरा घाव।

22. दाहिनी ओर सिर पर खोपड़ी पर 3 सेमी x 1 सेमी x फटा हुआ घाव, बाएं कान से 6 सेमी ऊपर।

23. सिर के दाहिनी ओर 9 सेमी x 2 सेमी x हड्डी तक गहरा चीरा, दाहिने कान से 12 सेमी ऊपर।

24. सिर के पिछले हिस्से पर, दाहिने कान से 8 सेमी नीचे, 1.5 सेमी x 1 सेमी x त्वचा की गहराई का फटा हुआ घाव।

25. बाएं कंधे की हड्डी के पिछले हिस्से पर 30 सेमी x 18 सेमी का आघात।

(50) उन्होंने आगे बताया कि दाहिनी पार्श्विका, पश्चकपाल और ललाट हड्डियाँ टूटी हुई थीं और दोनों तरफ की 1 से 9 तक की सभी पसलियाँ टूटी हुई पाई गईं। हृदय रक्त से भरा हुआ था और उसका वजन 220 ग्राम था। निचले जबड़े की हड्डी टूटी हुई थी। पेट खाली था। छोटी आंत आधी भरी हुई थी और बड़ी आंत मल से भरी हुई थी। एक धोती, कोट, स्वेटर, कुर्ता, अंतर्वस्त्र, तावीज़, जनेऊ और करधन बरामद किए गए, जिन्हें सील करके कांस्टेबल को सौंप दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि सभी चोटें लाठी, फरसा और बल्लम से लगी हो सकती हैं और मृत्यु का संभावित समय 8 मार्च, 1979 को शाम 4:00 बजे था। चोट संख्या

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा

सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



4 और 10 के संबंध में, उन्होंने कहा कि वे भी सतही थीं और किसी हल्की नुकीली वस्तु से लगी हो सकती हैं। बल्लम एक भारी हथियार है। न्यायालय के प्रश्न पर, उन्होंने कहा कि उक्त चोटें बल्लम की नोक से ही संभव थीं। हड़डी कटी नहीं थी, बल्कि उसमें फ्रैक्चर हुआ था। चोटें संख्या 21, 23, 17 और 20 तनावपूर्ण संरचनाओं पर लगी थीं। उन्होंने यह भी बताया है कि तनावपूर्ण संरचनाओं पर लाठी के प्रहार से चीरे के घाव जैसी चोट आई है। चोट संख्या 21 में हड़डी न तो टूटी थी और न ही कटी थी। चोट संख्या 23 में हड़डी कटी नहीं थी, बल्कि उसमें फ्रैक्चर हुआ था। चोटें संख्या 17, 20, 21 और 23 किसी कुंद वस्तु से कठोर प्रहार के कारण संभव थीं। इस प्रकार, मृतक को लगी चोटें, जिन्हें डॉक्टर ने प्रमाणित किया है, घटना में आरोपियों द्वारा इस्तेमाल किए गए हथियारों से मेल खाती हैं, जैसा कि पी.डब्ल्यू.2, पी.डब्ल्यू.3 और पी.डब्ल्यू.4 ने प्रमाणित किया है।

(51) डॉक्टर द्वारा प्रमाणित चोटें यह दर्शाती हैं कि दोषियों द्वारा किया गया हमला अत्यंत क्रूर था। ये चोटें चश्मदीन द्वारा दिए गए हमले के तरीके और उनके द्वारा सिद्ध किए गए हथियारों के प्रत्यक्ष विवरण से मेल खाती हैं। इस प्रकार, मृतक को लगी चोटें और पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करती हैं।

(52) अवर न्यायालय ने चोटों और अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों पर विचार करने के बाद यह निष्कर्ष निकाला है कि लाठी से लगी चोटें महादेव गांव के ही लाठी चलाने वाले राम उग्रा की संलिप्तता से स्पष्ट होती हैं और चूंकि दूसरा आरोपी नैयर उर्फ राजकुमार दूर के स्थान का था और उसकी उपस्थिति संदिग्ध पाई गई, इसलिए उसे बरी कर दिया गया है। इस न्यायालय को इसमें कोई अवैधता या त्रुटि नहीं मिलती है और अपीलकर्ता राम उग्रा सह-आरोपी नैयर उर्फ राजकुमार की बरी होने के बराबर बरी होने का हकदार नहीं है, क्योंकि अपराध में उसकी संलिप्तता सिद्ध हो चुकी है और वह उसी गांव का था, जिससे अन्य अपीलकर्ता संबंधित हैं। वैसे भी, किसी आरोपी को केवल इसलिए दूसरे आरोपी के बराबर बरी होने का हकदार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि दोनों को हमले के लिए एक ही हथियार का इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया है, जब तक कि उक्त आरोपी की संलिप्तता भी सिद्ध न हो जाए या संदिग्ध न पाई जाए। इसलिए, इस संबंध में अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क भ्रामक और निराधार है, अतः इसे खारिज किया जाता है।

(53) पी.डब्ल्यू.-6, बृज नारायण सिंह, जांच अधिकारी ने एफआईआर को प्रदर्श का-5 और रपट संख्या 32 पर शाम 6:45 बजे दर्ज की गई प्रविष्टि को प्रदर्श का-6 के रूप में प्रमाणित किया है। उन्होंने आगे बताया कि उन्होंने पुलिस स्टेशन में शिकायतकर्ता कंधाई का बयान दर्ज किया और उसके बाद घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया, जहां वे रात लगभग 10:30 बजे पहुंचे। वहां प्रकाश की कोई व्यवस्था नहीं थी। उन्होंने कांस्टेबल को लालटेन लाने के लिए भेजा, जिसे वे स्वयं लाए, हालांकि उसकी रोशनी बहुत कम थी, इसलिए वे वहीं रुके रहे और सुबह उन्होंने सबसे पहले जांच रिपोर्ट तैयार की। उन्होंने जांच रिपोर्ट, उनके द्वारा तैयार की गई फोटोलैश और सीएमओ को लिखे पत्र को प्रमाणित किया, जिन्हें प्रदर्श का-8, प्रदर्श का-9 और प्रदर्श का-10 के रूप में चिह्नित किया गया है। उन्होंने शव के पास से रक्त से सनी मिट्टी और गवाहों की उपस्थिति में सादी मिट्टी एकत्र की, जिसे प्रदर्श का-11 के रूप में चिह्नित किया गया है। इसके बाद, उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और साइट प्लान तैयार किया, जिसे प्रदर्श का-12 के रूप में चिह्नित किया गया है। जांच इंस्पेक्टर द्वारा 11वें दिन शुरू की गई। जिरह में उन्होंने बताया कि एफआईआर शाम 6:45 बजे लिखी गई थी और उन्होंने जांच शाम 7:15 बजे शुरू की, जब उन्होंने केस डायरी में एफआईआर दर्ज करना शुरू किया। वे रात 9:20 बजे तक पुलिस स्टेशन में व्यस्त रहे। उन्होंने पुलिस स्टेशन में केस डायरी रोककर एफआईआर की तारीख बदलने के सुझाव का खंडन किया। उन्होंने यह भी बताया कि वे साइकिल से गए थे, जीप से नहीं। उन्होंने आगे बताया कि केस डायरी के अनुसार इंस्पेक्टर सुबह 10:35 बजे रवाना हुए थे और कुछ ही मिनटों में घटनास्थल पर पहुंच गए थे। उन्होंने यह भी बताया कि केस डायरी के अनुसार इंस्पेक्टर वापस आ गए थे, हालांकि उन्होंने यह उल्लेख नहीं किया कि वे किसी वाहन से आए थे, लेकिन उनकी स्मृति के अनुसार वे जीप से आए थे। उन्होंने आईपीसी की धारा 498 के तहत इदरीश की जाली रिपोर्ट दर्ज कराने के सुझाव को भी नकार दिया है, ताकि पूर्व-रिपोर्टिंग का सही समय दिखाया जा सके। इसके बाद उनसे विस्तृत जिरह की गई, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं निकला जिससे उनके साक्ष्य या जांच की सत्यता पर संदेह उत्पन्न हो सके। जिरह में उन्होंने कहा कि उन्होंने आरोपियों के घरों की तलाशी नहीं ली क्योंकि उनके घर बंद थे, जिसका उल्लेख केस डायरी में किया गया है। हालांकि, कोई मेमो तैयार नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि गवाह राजेंद्र ने उन्हें बताया था कि खमारिया

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



गांव में कृषि कार्य देखने के बाद वे दोपहर लगभग 2:00 बजे खमारिया से अपने गांव महादेव के लिए रवाना हुए थे। उन्होंने यह भी कहा कि गवाह गुरुचरण ने उन्हें यह नहीं बताया था कि आरोपियों ने मृतक राम शंकर की जेब से कागज निकाला था। उन्होंने सजपुर में बैल की खरीद के बारे में बताया था, लेकिन उन्होंने अपने बैलों और अपने मामा के बैलों का कोई जिक्र नहीं किया था। उन्होंने इस बात से इनकार किया है कि कुछ अज्ञात व्यक्तियों ने पुलिस स्टेशन में शव की एफआईआर दर्ज कराई थी और उन्होंने उपरोक्त कहानी गढ़ी थी। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि राजेंद्र के साथ गांव में घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद एफआईआर दर्ज कराई गई थी। मामला सुबह दर्ज किया गया था। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में सुरेंद्र कोली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य (उपरोक्त) के फैसले पर भरोसा किया गया है, जो इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू नहीं होता है।

(54) उपरोक्त के मददेनजर, घटना, हमले का तरीका, हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार और घटना स्थल उपरोक्त गवाहों द्वारा सिद्ध हो चुके हैं। अवर न्यायालय ने दलीलों और अभिलेख पर मौजूद सबूतों पर विचार करने के बाद कानून के अनुसार तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश द्वारा निष्कर्ष दर्ज किए हैं।

(55) चुनौती के आधारों में से एक यह है कि मृतक और शिकायतकर्ता का सजपुर के पशु बाजार जाना मान्य नहीं है, क्योंकि चूंकि नानहू के बैल खरीदे गए थे, जो उसी गांव का निवासी था, यानी शिकायतकर्ता और मृतक का गांव, इसलिए बाजार जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि उक्त बैल गांव में ही खरीदे जा सकते थे। दूसरा आधार यह है कि बैलों की खरीद की रसीदें साबित नहीं की जा सकीं, क्योंकि दोनों विशेषज्ञों की राय में अंगूठे के निशान साबित नहीं हुए, जिनमें से एक की राय न्यायालय द्वारा ली गई थी। जहां तक उसी गांव के नानहू के बैलों को बाजार से खरीदने के आधार पर दलील का सवाल है, पी.डब्ल्यू.-2, शिकायतकर्ता राजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि बैलों की खरीद के लिए ऋण केवल पशु चिकित्सक के माध्यम से सहकारी समिति से ही लिया जा सकता था, इसलिए वे पशु चिकित्सक का प्रमाण पत्र लेने और रसीद तथा ऋण राशि प्राप्त करने के लिए पशु बाजार गए थे। रसीद पर अंगूठे के निशान के सबूत के संबंध में, विद्वान विचारण न्यायालय ने दर्ज किया कि विशेषज्ञों ने राय दी है कि अंगूठे के दो निशान अलग-अलग हैं, हालांकि, विशेषज्ञों ने वास्तव में प्रश्नगत रसीद पर राजेंद्र और राम शंकर के बताए जा रहे अंगूठे के निशानों में आपसी समानता पाई। वैसे भी, यह केवल एक विशेषज्ञ की राय थी और यदि प्रत्यक्ष साक्ष्य के मामले में रसीदें साबित नहीं हो सकीं, तो यह अभियोजन पक्ष के मामले पर संदेह करने और बरी करने का आधार नहीं हो सकता, जबकि प्रत्यक्ष साक्ष्य से ही आरोपी व्यक्तियों की अपराध में संलिप्तता सिद्ध हो चुकी है।

(56) माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुरेश राय और अन्य बनाम बिहार राज्य (उपरोक्त) मामले में यह धारित किया है कि जांच रिपोर्ट को ठोस साक्ष्य नहीं माना जा सकता, लेकिन इसका उपयोग जांच अधिकारी के बयान का खंडन करने के लिए किया जा सकता है। यह भी माना गया है कि जांच रिपोर्ट जांच अधिकारी द्वारा प्रथम दृष्टया चोटों की प्रकृति और उन चोटों को पहचानने में प्रयुक्त संभावित हथियार तथा मृत्यु के संभावित कारण का पता लगाने के लिए तैयार की जाती है। वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में यह अपीलकर्ताओं के लिए सहायक नहीं है।

(57) उपरोक्त तथ्यों और मामले की सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अभियोजन पक्ष ने संदेह से परे यह सिद्ध कर दिया है कि अभियुक्तों/अपीलकर्ताओं ने सामान्य इरादे से और उसी के अनुसरण में मृतक पर जानलेवा हमला किया और गवाहों के शोर मचाने के बावजूद हत्या करने के बाद ही घटनास्थल से भागे। इस प्रकार, अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों और सामग्री तथा अवर न्यायालय द्वारा दिए गए निष्कर्षों के आधार पर, इस न्यायालय को आक्षेपित निर्णय और आदेश में कोई अवैधता या त्रुटि नहीं मिलती है, जो अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों और सामग्री पर विचार करने के बाद तर्कसंगत और स्पष्ट रूप से दिया गया है, और अपीलकर्ताओं द्वारा उठाए गए कोई भी आधार विधि की दृष्टि में मान्य नहीं हैं।

(58) अपील भ्रामक है और खारिज किए जाने योग्य है, इसलिए इसे खारिज किया जाता है और अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और आदेश को बरकरार रखा जाता है। आईपीसी की धारा 302/34 के तहत दंडनीय अपराध के लिए अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है और आईपीसी की धारा 302/34 के तहत उन्हें दी गई सजा की पुष्टि की जाती है।

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(59) अपीलकर्ता संख्या 2; जानेंद्री (जनेंद्री) और अपीलकर्ता संख्या 3; राम फेर की अपील लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई थी, जबकि अपीलकर्ता संख्या 1; राम नारायण और अपीलकर्ता संख्या 4; राम उगर उर्फ राम उग्रा जमानत पर हैं, इसलिए अपीलकर्ता संख्या 1; राम नारायण और अपीलकर्ता संख्या 4; राम उगर उर्फ राम उग्रा को आज से दो सप्ताह के भीतर संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है, जो उन्हें शेष सजा काटने के लिए जेल भेजेंगे। यदि अपीलकर्ता संख्या 1; राम नारायण और अपीलकर्ता संख्या 4; राम उगर उर्फ राम उग्रा आज से दो सप्ताह की अवधि के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करते हैं, तो संबंधित मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अपीलकर्ता संख्या 1; राम नारायण और अपीलकर्ता संख्या 4; राम उगर उर्फ राम उग्रा की गिरफ्तारी के लिए उचित कदम उठाएंगे।

(60) इस निर्णय की एक प्रति विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित सूचना और अनुपालन के लिए संबंधित न्यायालय को तुरंत भेजी जाए।

(जफ़ीर अहमद, न्यायमूर्ति) (रजनीश कुमार, न्यायमूर्ति)

आदेश तिथि :- 13.02.2026

सौरभ/-

Translated version. Not for Legal Use

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"